Comptroller & Auditor General's report on LIC Mutual Fund Regarding Brand SGL Fraud

*193. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the first Bank Receipt and Subsidary General Ledger fraud was unearthed during an audit inspection of the records of the LIC Mutual Fund by the Comptroller & Auditor General.

(b) if so, what were the findings of the CAG; and

(c) what action was initiated on his findings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) No. Sir. In fact, there has been no audit inspection of the records of the LIC Mutual Fund by the Comptroller and Auditor General.

(b) and (e) Do not arise.

बैंकों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारियों के रिक्त पदों का भरा जाना

*194. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसे अनेक उच्च पद जून, 1991 के अन्तिम सप्ताह तक खाली पड़े हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस बैंक में इन पदों का अतिरिक्त भार अस्थायी तौर पर कनिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ रिक्त पदों को विगत एक वर्ष के दौरान भर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो जून, 1992 के अन्त तक कितने पद रिक्त थे और उन्हें कब तक भर लिए जाने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 30 जून 1991 की स्थिति के अनुसार चार राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् न्यू बैंक आफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, विजया बैंक और यको बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद रिक्त थे। कार्यापालक निदेशक के दो पद बैंकों अर्थात् बैंक आफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक में रिक्त थे ।

(ख) उपर्युक्त चार बैंकों में जहां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद रिक्त थे, कार्यपालक निदेशकों से कहा गया था कि वे वर्तमान कार्य भार सम्भालें । बैंक आफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यपालक निदेशकों की रिक्तियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी क्योंकि वहां अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पदासीन थे ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त सभी चार बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों की रिक्तियों को भरा जा चुका है । कार्यपालक निदेशकों के दो रिक्त पदों में से, जो 30.6.91 की स्थिति के अनुसार रिक्त थे, इंडियन ओवरसीज बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद को भी भर दिया गया है । सरकार ने बैंक आफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक के रिक्त पद को भरने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है ।

Recovery of Dues from M/s. ITC, Bangalore

195. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 296 given in the Rajya Sabha on 3rd September, 1991 and state:

(a) whether the stay order granted by the Madras High Court in con. nection with the recovery of confirm-